न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 90 सन 2018

अनवान :–

1. सुरेश कुमार पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन निमला तहसील नोहर।

बनाम

1. सहीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।
2. सुखराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।
3. सरोज 4 सिलोचना पुत्रीयान सहीराम जाति जाट निवासी निमला तहसील नोहर।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 46/117 के खसरा न0 422/9.0550हैक खसरा न0 436/1.0120हैक खसरा न0 519 की 6.3230हैक खसरा न0 520 की 1.5930हैक , खसरा न0 601 की 6.4370हैक खसरा न0 625 की 5.6280हैक खसरा न0 728/519 की 1.4190हैक कुल 31.4640हैक भूमि में सयुक्त तौर से पतराम पुत्र भैराराम 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हे एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 47/47 के खसरा न0 603/5.7540हैक खसरा न0 655 की 3.5410हैक खसरा न0 324/657 की 0.6330हैक कुल 8.9280हैक भूमि जिसके पतराम पुत्र भैराराम 47–1/7 हिस्सा के सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार है एव खाता संख्या 48/47 के खसरा न0 585 की 0.7460हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से पतराम पुत्र भैराराम 3/7 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

पतराम पुत्र भेराराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से बाद भूमि उसके पुत्रो पर औद हुई और जिन्होने खाता तकसीम करवाने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मोजा नीमला के खसरा न0 422/3 की 2.347हैक खसरा न0 436 की 1.012हैक खसरा न0 519/2 की 2.124हैक खसरा न0 655/1 की 1.073हैक खसरा न0 724/657/2 की 0.316हैक कुल 6.872हैक भूमि आई है विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बरबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने हे ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ,4 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 ,4 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा नीमला के खसरा न0 422/3 की 2.347हैक खसरा न0 436 की 1.012हैक खसरा न0 519/2 की 2.124हैक खसरा न0 655/1 की 1.073हैक खसरा न0 724/657/2 की 0.316हैक कुल 6.872हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official